Recd
27/10/2020

प्रेषक,

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
सं०सं०, बिजनौर।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एंव लेखन सामग्री उ०प्र०,
इलाहाबाद।

पत्रांकः– 855 /आठ–वि०भू०अ०अ० (सं०सं०)/बिजनौर/2020 दिनांक– 26-10-2020

विषयः– मध्य गंगा नहर के निर्माण हेतु ग्राम जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा परगना व तहसील चान्दपुर, ग्राम निजावतपुर बी०ए० एंव ग्राम रामपुर वीरान परगना दारानगर तहसील बिजनौर के भू–अर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर महोदय बिजनौर द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या–842/आठ–वि०भू०अ०अ० /बिजनौर दिनांक 26.10.2020 का गजट में प्रकाशन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना है कि मध्य गंगा नहर के निर्माण हेतु ग्राम जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा परगना व तहसील चान्दपुर, ग्राम निजावतपुर बी०ए० एंव ग्राम रामपुर वीरान परगना दारानगर तहसील बिजनौर के भू–अर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जिला कलेक्टर महोदय बिजनौर द्वारा अधिसूचना संख्या–842/आठ–वि०भू०अ०अ०/बिजनौर दिनांक 26.10.2020 को जारी की गयी है, जिसका गजट में प्रकाशन कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिला कलेक्टर महोदय बिजनौर द्वारा जारी की गयी संलग्न अधिसूचना का शीघ्र गजट में प्रकाशन कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित गजट की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
सं०सं०, बिजनौर।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न की जा रही अधिसूचना को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1–तहसीलदार चान्दपुर/बिजनौर।

2–अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चान्दपुर/बिजनौर।

3–ग्राम प्रधान ग्राम जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा परगना व तहसील चान्दपुर/ग्राम निजावतपुर बी०ए० एंव रामपुर वीरान परगना दारानगर तहसील बिजनौर।

4–अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–6 मेरठ को जिला कलेक्टर महोदय बिजनौर द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि संलग्न विज्ञप्ति का प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा में प्रकाशन कराकर समाचार पत्रों की तीन–तीन प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कलक्ट्रेट, बिजनौर को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना जिलाधिकारी महोदय की वेब–साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

Anil
Pls Publish
27/10/2020

26/10/20
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
सं०सं०, बिजनौर।

SLAO 1-7-19

प्रारूप–18

नियम–20 का उपनियम (2)
(अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेशसिंचाई विभाग
अधिसूचना संख्याः–---842---**/आठ/वि0भू0अ0अ0/बिजनौर**
दिनांकः 26/10/2020.

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि **उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0** मध्य गंगा **निर्माण खण्ड–6, मेरठ**के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन **मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) मुख्य नहर के निर्माण** हेतु जनपद **बिजनौर**तहसील **बिजनौर**परगना**दारानगर**ग्राम**निजावतपुरा बी0ए0 में** कुल**1.7060है0, रामपुर वीरान**में कुल**0.8930है0 तथा** ग्राम **जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा** तहसील **चॉंदपुर** परगना **चॉंदपुर में** कुल **0.4850**है0 भूमि की आवश्यकता है।

2– राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुति की आवश्यकता नही है क्योंकि भूमि अर्जन अधिनियम–2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग पर सामाजिक सामाघात लागू नही है।

3– सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है:–
भूमि अर्जन अधिनियम–2013 की धारा 2(1) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग पर सामाजिक सामाघात लागू नही है। अतः रिपोर्ट शून्य है।

4– भूमि अर्जन के कारण कुल .....**शून्य**..... परिवार के विस्थापित होने की संभावना है
इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है। भू–अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है।
डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर......**शून्य**............को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है:-भू–अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नही हो रहा है। इसलिए प्रशासक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नही है।

5– अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
बिजनौर	बिजनौर	दारानगर	निजावतपुरा बी0ए0	909	0.8040
				940	0.9020
			योगः–		1.7060
बिजनौर	बिजनौर	दारानगर	रामपुर वीरान	148	0.2170
				163	0.6760
			योगः–		0.8930
बिजनौर	चॉदपुर	चॉदपुर	जुझारपुरा उर्फ नाईपुरा	211	0.0320
				212	0.0060
				187	0.0450
				186	0.0450
				184	0.1390
				179	0.1140
				320	0.1040
			योगः–		0.4850
			कुल योगः–		3.0840

6–अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के **60** (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा–11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणीः– उक्त भूमि का स्थल नक्शा बिजनौर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

23/10/20

आज्ञा से,

राज्यपाल/जिला कलैक्टर

बिजनौर

D:/Bijendra singh/Office letters 11/6